BCCI BULLETIN

Vol. 52 | JULY - AUGUST 2021 | No. 5

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के नेतृत्व में विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि राज्य के सभी दुकानों को सप्ताह में प्रतिदिन खोलने की अनुमति हेतु माननीय उप मुख्यमंत्री एवं माननीय पथ निर्माण मंत्री से मिले

माननीय उपमुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद एवं पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन को चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश जैन एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी राज्य के सभी प्रकार के दुकानों को प्रतिदिन खोलने की अनुनति हेतु चैम्बर सहित विभिन्न व्यावसायिक संगठनों से प्राप्त पत्र समर्पित करते हुए।
साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, श्री आलोक पोद्दार एवं विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधिगण।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में 15 अगस्त 2021 को पूर्वाहन 11 बजे चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर 75वाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर चैम्बर के सदस्यगण भी उपस्थित थे।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के नेतृत्व में विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि दिनांक 7 जुलाई 2021 को श्री तारकिशोर प्रसाद, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं श्री नितिन नवीन, माननीय पथ निर्माण मंत्री से मिले एवं राज्य के सभी प्रकार के दुकानों को सप्ताह के सभी दिन खोलने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया।

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी ने किया। साथ ही इस बैठक में श्री आलोक पोद्दार, संयोजक, जी.एस.टी. सब कमीटी, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, श्री अंजनी जालान, भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, श्री विनोद कुमार, अध्यक्ष, पाटलिपुत्र सर्राफा संघ, श्री राजेश जैन, बिहार टेक्सटाइल एसोसिएशन, श्री राज कुमार, अध्यक्ष, न्यू मार्केट दुकानदार कल्याण समिति, श्री सुमंत सिकदर, बिहार फूटवियर एसोसिएशन, श्री संजय अग्रवाल, अध्यक्ष, प्लाई एंड हार्डवेयर ट्रेड एसोसिएशन ऑफ बिहार, श्री प्रकाश अग्रवाल, सचिव, बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन, श्री राजेश कुमार डब्ल्यू, सचिव, मोर्या लोक सॉपकीपर कल्याण समिति, श्री मनोज जैन, नाला रोड फर्नीचर एसोसिएशन, श्री मुकेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर एंड डीलर्स एसोसिएशन सम्मिलित थे।

इस अवसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री को राज्य के विभिन्न व्यावसायिक संगठनों यथा सेन्ट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गया, भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, आरा, निर्मली चैम्बर ऑफ

– शेष पृष्ठ 3 पर

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बंधुओं,

राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले में कमी को देखते हुए सरकार की ओर से लागू प्रतिबंधों में phase wise ढील दी जा रही है। हालांकि चैम्बर के साथ-साथ अन्य व्यवसायिक संगठनों की ओर से भी प्रयास किया गया कि दुकानों को प्रतिदिन खोलने की अनुमति दी जाये। इस क्रम में पत्रचार के साथ-साथ व्यक्तिगत रूप से भी श्री तारकिशोर प्रसाद, माननीय उप-मुख्यमंत्री, श्री नीतिन नवीन, माननीय पथ निर्माण मंत्री एवं मुख्य सचिव, बिहार से मिले परन्तु सरकार का कहना था कि यह निर्णय प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से फीड बैक लेकर किया गया है इसलिए सरकार की ओर से उचित समय पर निर्णय लिया जायेगा।

हमें खुशी है कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं अन्य व्यावसायिक संगठनों का सम्मिलित प्रयास सफल रहा। गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी आदेश ज्ञापांक-जी/आपदा-06-02.2020-5015 दिनांक 04 अगस्त 2021 के अनुसार दिनांक 07 अगस्त 2021 से 25 अगस्त 2021 तक सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान सामान्य रूप से साप्ताहिक बंदी के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। साथ ही कोविड-19 के गाइड लाइन का अनुपालन भी अनिवार्य किया गया है।

बंधुओं, अनलॉक में राहत जन-जीवन सामान्य करने के लिए है न कि बेफिक्र होने के लिए कोरोना अभी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी मंडरा रहा है। अत: कोविड-19 के गाइड लाइन का अक्षरश: पालन आवश्यक है यथा- मास्क लगाकर घर से बहार निकलें, दो गज की दूरी बना कर रहें और Vaccine अवश्य लगायें। साथ ही लोगों को Vaccination के लिए प्रेरित भी करें।

कोरोना के संबंध में सरकार द्वारा जब-जब भी लॉकडाउन का आर्डर किया गया या अनलॉक करके ढील दी गयी चाहे पूर्ण रूप से बंदी का हो या सीमित समय में कार्य करने का हो या कर्मचारियों की सीमित संख्या के साथ काम करने का आदेश हो या वर्तमान आदेश ज्ञापांक जी/आपदा-06-02. 2020-5015 दिनांक 04 अगस्त 2021 द्वारा जो दिनांक 07 अगस्त से 25 अगस्त 2021 तक प्रभावी है, की कंडिका 14 में जो आदेश है - **'सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित होगा'** आदि। उक्त प्रतिबंध के आलोक में चैम्बर ने किसी भी तरह का physical meeting नहीं किया है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने सरकार के सभी आदेशों का अक्षरश: पालन किया है।

राज्य में बालू की किल्लत को दूर करने के लिए चैम्बर का प्रतिनिधि-मंडल मुख्य सचिव, बिहार से मिला और यह हर्ष की बात है कि मुख्य सचिव ने तुरंत चैम्बर के पत्र को खान एवं भूतत्व विभाग को अग्रसारित करते हुए उनसे फोन पर भी बात करके निर्देश दिया और चैम्बर प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि एक दो दिन में इसकी सूचना अखबारों में आ जाएगी और **अखबारों में बालू मिलने के स्थान सहित संबंधित अधिकारियों का नाम एवं मोबाइल नंबर भी जारी किया गया।**

चैम्बर ने पटना नगर निगम की ओर से लिए जा रहे कचरा शुल्क को समाप्त करने का आग्रह किया है साथ ही देश के विभिन्न शहरों में लिए जा रहे कचरा शुल्क से संबंधित दरों (Rates) को भेजते हुए बताया गया कि पटना में जो कचरा शुल्क निर्धारित किया गया है वह कई शहरों से अधिक है।

दिनांक 22 जुलाई 2021 को Bihar Investment promotion Committee, मुम्बई के जून क्वार्टर की बैठक Video Conferencing एवं physically दोनों माधयम से हुई थी जिसमें मैंने भाग लिया था। **बिहार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कमिटी ने मेरी अध्यक्षता में एक सब कमिटी का गठन किया है जिसे राज्य व्यवसाय को सुगम बनाने एवं नए निवेशकों को राज्य में आकर्षित करने हेतु सुझाव देना है।**

Public Company से Private Company में Conversion का Power ROC को था जिसे Ministry of Corporate Affairs ने NCLT को दिया था जिसे बाद में गजट अधिसूचना के माध्यम से Regional Director को दे दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में लोगों को कोलकाता जाना होगा। **इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री से अनुरोध किया गया है कि इसे पूर्व की भांति ROC को दिया जाये।**

आयकर विभाग की ओर से दिनांक 24 जुलाई 2021 को '161वें आयकर दिवस' के अवसर पर ऑनलाइन संगोष्ठी' आयोजित की गयी थी। इस संगोष्ठी में मैं सम्मिलित हुआ था।

श्री राकेश मिश्रा, भा.रा.से. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, बिहार झारखण्ड ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों के साथ Interaction हेतु Webex Meeting का आयोजन दिनांक 06 अगस्त 2021 को किया था। इस Webex Meeting में मेरे अलावा उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी सहित चैम्बर के कई सदस्य शामिल हुए थे।

राज्य में बिजली कंपनी की ओर से उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने का कार्य चल रहा है। इसमें उपभोक्ताओं को बिजली खपत की राशि बिजली कंपनी को अग्रिम भुगतान कर देना है। पूर्व में बिजली खपत के पश्चात् राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान था इसलिए बिजली कंपनी उपभोक्ताओं से जमानत राशि (Security Deposit) लेती थी।

अत: चैम्बर ने सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लि०, प्रबंध निदेशक साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० एवं प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि०, पटना से आग्रह किया है कि जमानत के रूप में उपभोक्ताओं से ली गयी राशि का कोई औचित्य नहीं रहा। अत: यह राशि उपभोक्ताओं को वापस किया जाना चाहिए अथवा उनके उपभोग किये गए बिजली खपत की राशि में समायोजित किया जाना चाहिए।

सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के दायरे में छोटे और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों को लाया गया है। इस संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अधिसूचना जारी की गयी है। इसके बाद अब छोटे और मंझोले स्तर के व्यापारी भी उद्यम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे।

कोरोना काल में व्यापारियों के लिए यह कदम बेहतर है एवं स्वागतयोग्य है, इससे स्वरोजगार वाले लाखों लोगों को लाभ होगा। इसके वापस जुड़ने से छोटे और मध्यम श्रेणी के व्यापारी सहित राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।

सादर,

आपका

पी० के० अग्रवाल

माननीय उपमुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद एवं माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन से मिलकर राज्य में सभी प्रकार के दुकानों को प्रतिदिन खोलने की अनुमति प्रदान करने हेतु आग्रह करते बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारीगण, सदस्यगण एवं विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधिगण।

कॉमर्स, सुपौल, डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, दरभंगा, मोतीहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नॉर्थ इस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, कटिहार, रक्सौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार गार्मेन्ट मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन, बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन, प्लाई एंड हार्डवेयर ट्रेड एसोसिएशन ऑफ बिहार, मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लखीसराय चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, भागलपुर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स गोपालगंज, बांका जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जहानाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, टेक्सटाइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बेतिया, मार्बल टाइल्स एण्ड ग्रेनाईट व्यवसायी कल्याण समिति, पटना, स्कूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन, हथुआ मार्केट व्यवसायिक समिति, पटना, रामकृष्ण एवेन्यू व्यवसायिक संघ, पटना, मौर्यालोक सॉपकीपर कल्याण समिति, पटना, न्यू मार्केट दुकानदार कल्याण समिति, पटना, पाटलिपुत्र सर्राफा संघ, पटना से प्राप्त पत्र भी समर्पित किया गया।

श्री तारकिशोर प्रसाद, माननीय उप-मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वे एवं श्री नितिन नवीन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर आप सभी का कोई ना कोई समाधान करायेंगे।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य में सभी प्रकार के दुकानों को सप्ताह के सभी दिन खोलने एवं राज्य में बालू की किल्ल्त को दूर कराने हेतु मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारि शरण से मिला

मुख्य सचिव, बिहार श्री त्रिपुरारि शरण करे पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनन्दन करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारि शरण से दिनांक 9 जुलाई 2021 को मिला एवं राज्य में सभी प्रकार के दुकानों को सप्ताह के सभी दिन खोलने एवं राज्य में बालू की किल्ल्त को दूर कराने की दिशा में पहल कराने का अनुरोध किया। प्रतिनिधि-मंडल में उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी थे।

उक्त अवसर पर विभिन्न व्यावसायिक संगठनों एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से प्राप्त दुकानों को प्रतिदिन खोलने संबंधित पत्रों की प्रति भी मुख्य सचिव को समर्पित की गयी।

दुकानों को प्रति दिन खोलने के संबंध में चैम्बर के अनुरोध पर मुख्य सचिव ने बताया की आपकी बातों को ऊपर के स्तर पर भेजुंगा।

बालू की किल्लत के संबंध में उन्होंने तुरंत चैम्बर के पत्र को खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव को भेजा और बताया की जल्द ही इस संबंध में निर्णय आ जायेगा। यदि संभव हुआ तो कल या परसों में ही इसकी सूचना समाचार पत्रों में आ जायेगी की कहाँ-कहाँ बालू मिलने की संभावना है।

मुम्बई में हुई बिहार निवेश प्रमोशन समिति की बैठक

राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए मुम्बई में बिहार निवेश प्रमोशन समिति की बैठक हुई। समिति की यह दूसरी बैठक निवेश आयुक्त आरएस श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई। इसमें उपसचिव सह समिति की सदस्य सचिव कविता कुमार सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में सदस्य सचिव ने बताया कि 2017-18 से पिछले चार वर्षो में बिहार ने 66 हजार 845 करोड़ की निवेश प्रतिबद्धताओं को आकर्षित किया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में जून तिमाही तक 4552 करोड़ का निवेश आकर्षित हुआ है। इसमें से 914 करोड़ का निवेश धरातल पर आया है जिसमें से 2325 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। लॉकडाउन के दौरान भी बिहार सरकार ने अपनी बेहतर नीतियों से निवेशकों को आकर्षित किया है। समिति के सदस्य मयूर बंसल ने दक्षिण में जागरूकता पैदा करने की सिफारिश की। बैठक में जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड के अध्यक्ष निमेश, बीसीसीआई के अध्यक्ष पी. के अग्रवाल, उपनिवेश आयुक्त सुशील कुमार, विशेष सलाहकार निमेश कंपानी, कार्यपालक निदेशक संतोष सिन्हा आदि मौजूद रहे। (हिन्दुस्तान, 23.7.2021)

चैम्बर ने किया कचरा शुल्क को समाप्त करने का आग्रह

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने उप मुख्यमंत्री-सह-नगर विकास एवं आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद, नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग, पटना नगर निगम के महापौर तथा नगर आयुक्त से आग्रह किया है कि कचरा शुल्क लिए जाने के पटना नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए ताकि व्यवसायियों पर लगाए गए इस अतिरिक्त आर्थिक बोझ से राहत मिल सके।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि यह सर्वविदित है कि नागरिकों को नगर निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं यथा गृह कर, मल कर, जल कर, शिक्षा कर, स्वास्थ्य कर आदि की सुविधा प्रदान करने के बदले उक्त क्षेत्र में आनेवाले प्रत्येक निजी मकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान सभी से क्षेत्रफल या निर्माण के अनुसार निगम

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने सचिव, उर्जा विभाग, चेयरमैन-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं नार्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से अनुरोध किया है कि विद्युत् उपभोक्ताओं को प्री-पेड बिजली मीटर लगाने के पश्चात् उनसे सिक्यूरिटी डिपाजिट के मद में ली गयी राशि को वापस लौटाया जाये अथवा उनके बिजली खपत में सामंजस्य किया जाये।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

खेम चन्द चौधरी मार्ग, पटना- 800 001
पत्रांक : 197 16 जुलाई 2021

सेवा में,

श्री संजीव हंस, भा.प्र.से.
सचिव, उर्जा विभाग, बिहार पटना

श्री संजीवन सिन्हा, आईपी एंडटीएएफएस
प्रबंध निदेशक
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन क० लि०, पटना

श्री संजीव हंस, भा.प्र.से.
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
बिहार स्टेट पावर होल्डिग कम्पनी लि., पटना

श्री एस. के. आर. पुडकलकट्टी, भा.प्र.से.
प्रबंध निदेशक
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन क. लि., पटना

प्रिय महोदय,

प्री-पेड बिजली मीटर लगाने के पश्चात विद्युत उपभोक्ता से Security Deposit के मद में ली गई राशि को वापस करने या उनके बिजली विपत्र में सामजस्य कराने के संबंध में।

राज्य में बिजली कपनी की ओर से उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट प्री-पेड बिजली मीटर लगाने का कार्य चल रहा है और अब उपभोक्ताओं को अपने विद्युत खपत की राशि को बिजली कपनी को अग्रिम भुगतान कर देना है।

महोदय, पूर्व से चली आ रही व्यवस्था के तहत विद्युत उपभोक्ता विद्युत खपत करने के पश्चात उपभोग किए गए बिजली के अनुसार राशि का भुगतान बिजली कपनी को कर रहे थे। विद्युत खपत के पश्चात राशि का भुगतान किए जाने के प्रावधान के कारण ही बिजली कपनी द्वारा उपभोक्ताओं से Security Deposit लेने का प्रावधान था जिससे कि यदि कोई बिजली उपभोग करने के उपरान्त विपत्र का भुगतान नहीं करते हैं तो उक्त राशि का उनके Security Deposit से सामजस्य किया जा सके।

महोदय, अब चूकि बिजली कपनी की ओर से नई व्यवस्था लागू की जा रही है और उसके तहत विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत के पहले ही राशि का भुगतान कर देना है। ऐसी परिस्थिति में अब उपभोक्ताओं द्वारा कनेक्शन के समय जमा किए गए Security Deposit की राशि का कोई औचित्य नहीं है।

अत: विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत कनेकशन के समय Security Deposit के मद में ली गई राशि को उपभोक्ताओं को वापस किया जाना चाहिए या उनके द्वारा उपभोग किए गए बिजली खपत में राशि का सामजस्य किया जाना चाहिए।

सधन्यवाद,

भवदीय
अमित मुखर्जी
महामंत्री

फोन : 0612-2677605, 2677635, फैक्स : 0612-2677505
Website : binarchamber.org, E-mail : bccpatna@gmail.com

के द्वारा होल्डिंग टैक्स की वसूली की जाती है। उसके बावजूद व्यावसायिक प्रतिष्ठानों या घर-घर से कूड़ा उठाने के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाना अव्यवहारिक प्रतीत होता है।

उन्होंने आगे बताया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से घर-घर कूड़ा उठाने के लिए निगम के सशक्त स्थायी समिति के द्वारा अतिरिक्त शुल्क लिए जाने का निर्णय जन विरोधी है।

इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए क्योंकि व्यवसायी पहले से ही सरकार की ओर से अधिरोपित कई प्रकार के करों के बोझ से दबे हैं। ऐसा लगता है कि सशक्त स्थायी समिति द्वारा एक निजी कंपनी को सभी व्यवसायिक संपत्ति धारकों से जबरन कचरा शुल्क वसूलने की छूट दी गई है जो सही नहीं है। साथ चार्ट के माध्यम से यह बताया गया है कि पटना में जो कचरा शुल्क निर्धारित किया गया है वह देश के विभिन्न शहरों से अधिक है। **(राष्ट्रीय सहारा, 15.7.21)**

161वें आयकर दिवस पर आयोजित वेब सम्मेलन/ ऑनलाइन संगोष्ठी में चैम्बर अध्यक्ष सम्मिलित हुए

आयकर विभाग द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2021 को 161वें आयकर दिवस के अवसर पर वेब सम्मेलन/ऑनलाइन संगोष्ठी आयोजित की गई। इस वेब संगोष्ठी में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल भी सम्मिलित हुए।

कोरोना का कहर: कंकड़बाग में पाँच बड़े शोरूम बंद हुए

कारोबार पर कोरोना की जोरदार मार का असर दिखने लगा है। राजधानी के बड़े-बड़े शोरूम से लेकर छोटे प्रतिष्ठान सभी के शटर डाउन होने लगे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद भी बाजार के नहीं उठने से बड़े-बड़े शोरूम बंद हो गए हैं। कंकड़बाग मेन रोड में एक किमी के दायरे में ही पाँच बड़े शोरूम के बंद होने से कोरोना की भयावहता दिखने लगी है। वहीं, छोटे-मोटे दुकान भी काफी संख्या में बंद हुए हैं।

व्यापार समेटने की स्थिति : कारोबार पर कोरोना की मार ने कारोबारियों को व्यापार समेटने की स्थिति में ला दिया है। शोरूम के खर्चों में कटौती नहीं होने, किराया देने, बैंक के ब्याज समेत अन्य खर्च की तुलना में आमदनी नहीं के बराबर है। बंद होने वाले शोरूम में कपड़े, फर्नीचर, जूते चप्पल के शोरूम समेत अन्य प्रतिष्ठान हैं। मार्च 2020 से अब तक 15 महीने बाद भी कारोबार के पटरी पर नहीं लौटने की वजह से कारोबारियों की सांसे अटकी हैं।

"मार्च 2020 से लेकर अब तक स्थिति सुधरी नहीं है। दुकान, शोरूम व मॉल या तो बंद हैं या अधिक लॉस में है। महीने में अभी दो हफ्ते भी नहीं खुलने से कमाई नहीं के बराबर है। अभी प्राथमिकता की चीजों पर लोगों का ध्यान है। इसीलिए कपड़े, फर्नीचर, फुटवियर जैसे शोरूम बंद हो रहे हैं। सबसे अधिक दिक्कत उन कारोबारियों को है जिनका कारोबार बैंक की पूंजी, किराए का मकान व कर्मियों के भरोसे है।"

– पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स
(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 18.7.2021)

विस्तार के बाद केन्द्रीय मंत्रीमंडल का स्वरूप

माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 7 जुलाई 2021 को केन्द्रीय मंत्रीमडंल का विस्तार किया

नरेन्द्र मोदी : प्रधानमंत्री – कार्मिक, जनशिकायतें, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के साथ ही सभी नीतिगत मामले तथा अन्य ऐसी सभी मंत्रालय जो किसी मंत्री को आवंटित न किए गए हों।)

कैबिनेट मंत्री

नाम	मंत्रालय
राजनाथ सिंह	– रक्षा
अमित शाह	– गृह और सहकारिता
नितिन गडकरी	– सड़क परिवहन व हाईवे
निर्मला सीतारमण	– वित्त और कारपोरेट अफेयर्स
नरेन्द्र सिंह तोमर	– कृषि व किसान कल्याण
डा. एस. जयशंकर	– विदेश
अर्जुन मुंडा	– आदिवासी मामले
स्मृति ईरानी	– महिला व बाल विकास
पीयूष गोयल	– वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजानिक वितरण, कपड़ा
धर्मेंद्र प्रधान	– शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता
प्रह्लाद जोशी	– संसदीय कार्य, कोयला, खदान
नारायण राणे	– सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
सर्बानंद सोनोवाल	– पोत परिवहन और जलमार्ग, आयुष
मुख्तार अब्बास नकवी	– अल्पसंख्यक मामले
वीरेन्द्र कुमार	– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
गिरिराज सिंह	– ग्रामीण विकास, पंचायती राज
ज्योतिरादित्य सिंधिया	– नागरिक उड्डयन
रामचंद्र प्रसाद सिंह	– इस्पात
अश्विनी वैष्णव	– रेल, संचार, इलेक्ट्रानिक एंड इन्फार्मेशन टेक्नालाजी
पशुपति कुमार पारस	– खाद्य प्रसंस्करण
गजेन्द्र शेखावत	– जलशक्ति
किरण रिजिजू	– कानून एवं न्याय
राजकुमार सिंह	– ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय
हरदीप सिंह पुरी	– शहरी विकास, आवास, पेट्रोलियम
मनसुख मांडविया	– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक
भूपेन्द्र यादव	– पर्यावरण, वन, श्रम और रोजगार
महेन्द्र नाथ पांडेय	– भारी उद्योग
पुरुषोत्तम रूपाला	– मत्स्य और पशुपालन एवं डेयरी
जी किशन रेड्डी	– संस्कृति, पर्यटन, पूर्वोत्तर विकास
अनुराग ठाकुर	– सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले, खेल

स्वतंत्र प्रभार

राव इंद्रजीत	– सांख्यकी और योजना क्रियान्वयन, प्लानिंग, कारपोरेट अफेयर
जितेन्द्र सिंह	– विज्ञान एवं तकनीक, पृथ्वी विज्ञान, पीएमओ, कार्मिक एवं पेंशन, एटामिक एनर्जी, अंतरिक्ष

राज्य मंत्री

श्रीपद नाइक	– पोत परिवहन और जलमार्ग, पर्यटन
फगन सिंह कुलस्ते	– इस्पात, ग्रामीण विकास
प्रह्लाद सिंह पटेल	– जलशक्ति, खाद्य प्रसंस्करण
अर्जुन राम मेघवाल	– संसदीय कार्य, संस्कृति
वी. के. सिंह	– सड़क परिवहन, राजमार्ग, नागरिक उड्डयन
अश्विनी कुमार चौबे	– उपभोक्ता मामले, वन व पर्यावरण
कृष्णपाल	– ऊर्जा, भारी उद्योग
दानवे राव साहब	– रेलवे, कोयला, खदान
रामदास आठंवले	– सामाजिक न्याय और अधिकारिता
साध्वी निरंजन ज्योति	– उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण, ग्रामीण विकास
संजीव कुमार बालियान	– मत्स्य, पशुपालन, डेयरी
नित्यानंद राय	– गृह
पंकज चौधरी	– वित्त
अनुप्रिया पटेल	– व्यापार एवं उद्योग
एस. पी. सिंह बघेल	– कानून एवं न्याय
राजीव चंद्रशेखर	– कौशल विकास, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना तकनीक
शोभा करंदलजे	– कृषि तथा किसान कल्याण
भानुप्रताप सिंह वर्मा	– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
दर्शन विक्रम	– कपड़ा, रेल
वी. मुरलीधरन	– विदेश, संसदीय कार्य
मीनाक्षी लेखी	– विदेश, संस्कृत
सोमप्रकाश	– व्यापार एवं उद्योग
रेणुका सिंह सरूता	– आदिवासी मामले
रामेश्वर तेली	– पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, श्रम एवं रोजगार
कैलाश चौधरी	– कृषि, किसान कल्याण
अन्नपूर्णा देवी	– शिक्षा
ए. नारायणस्वामी	– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
कौशल किशोर	– शहरी विकास, आवास
अजय भट्ट	– रक्षा, पर्यटन
बीएल वर्मा	– पूर्वोत्तर विकास, सहकारिता
अजय कुमार	– गृह
देवूसिंह चौहान	– संचार
भगवंत खूबा	– नवीन एवं नवीकरणीय अर्जा, केमिकल एवं उर्वरक
कपिल मोरेश्वर पाटिल	– पंचायती राज
प्रतिमा भौमिक	– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
सुभास सरकार	– शिक्षा
भागवत कृष्णा राव	– वित्त
राजकुमार रंजन सिंह	– विदेश एवं शिक्षा
भारतीय प्रवीण पवार	– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
बिश्वेश्वर टुडू	– आदिवासी मामले और जलशक्ति
शांतनु ठाकुर	– पोत, बंदरगाह एवं जलमार्ग,
मंजू पारा महेन्द्रभाई	– महिला एवं बाल विकास तथा आयुष
जान बारला	– अल्पसंख्यक मामले
एल. मुरुगन	– मत्स्य, पशुपालन और डेयरी, सूचना एवं प्रसारण
निशिथ प्रमाणिक	– गृह, युवा एवं खेल

(साभार : दैनिक जागरण, 8.7.2021)

चैम्बर के सदस्यों (चैम्बर/एसोसिएशन) ने भी मनाया 75वाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह

सेन्ट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गया

मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मुंगेर

नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, कटिहार

चैम्बर ऑफ कॉमर्स गोपालगंज

जमुई जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, झाझा

माधवापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, माधवापुर

जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जमुई

पाटलीपुत्र सर्राफा संघ, पटना

पटना स्कूटर ट्रेडर्स एसोसियेशन, पटना

बिहार में उद्योग लगाएं चंडीगढ़ के उद्यमी

सीआईआई से जुड़े उद्योगपतियों के साथ उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने की बैठक

बिहार के औद्योगिक विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे राज्य के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने 20 जुलाई 2021 को चंडीगढ़ सी आईआई नॉर्दर्न रीजन से जुड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की और उन्हें बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए आमंत्रित किया। इस अहम बैठक में बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने उत्तर भारत के उद्योग जगत की हस्तियों के सामने बिहार की ड्राफ्ट टेक्सटाईल पॉलिसी का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया और उन्हें पूरे बिहार में टेक्सटाइल्स के साथ हर तरह के उद्योगों की स्थापना के लिए मौजूद संभावनाओं से अवगत कराया। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बैठक में मौजूद उद्योग जगत की हस्तियों को प्रजेंटेशन के जरिए जानकारी दी कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्विटी अब कोई मसला नहीं है। बिहार का हर इलाका अब सड़क, रेल या हवाई मार्ग से अच्छी तरह कनेक्टेड है और औद्योगिक ईकाईयों की स्थापना के लिए जिस तरह की स्थिति चाहिए, वो बिहार में इस वक्त मौजद है। चंडीगढ़ में सी आईआई नॉर्दर्न रीजन बैठक में पंजाब, हिमाचल प्रदेश के 20 से ज्यादा उद्योगपतियों ने शिरकत की और बिहार ड्राफ्ट टेक्सटाईल पॉलिसी को बारीकी से समझने के साथ उसे लेकर कई अहम सुझाव भी दिए जिस पर बिहार के उद्योग मंत्री ने सकारात्मकता से विचार करने का भरोसा दिया। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने आग्रह किया कि उत्तर भारत के उद्योगपतियों का एक डेलिगेशन लेकर बिहार आएँ और बिहार की ग्राउंड रियलिटी का खुद से जायजा लें। उन्हें अपार संभावनाओं की गुंजाईश नजर आएगी।

(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 21.7.2021)

उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने व्यवसायियों से मांगा साथ, बिहार कपड़ा उद्योग में देश को बांग्लादेश से आगे ले जाएगा

इथेनॉल नीति के बाद अब उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने राज्य की प्रस्तावित टेक्सटाइल नीति के मसौदे पर उद्योग समूहों संग बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। बुधवार 30 जून 2021 को उन्होंने सिंथेटिक रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एसआरटीइपीसी) के साथ बिहार के लिए कपड़ा नीति के मसौदे पर चर्चा की। उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार में निवेश का बेहतर माहौल है। कहा कि कपड़ा व्यवसायी यदि साथ दें तो शीघ्र बिहार परिधान उद्योग में देश को बांग्लादेश से आगे ले जा सकेगा।

एसआरटीईपीसी के रेशम भवन, चर्चगेट स्थित कार्यालय में हुई बैठक में श्री हुसैन ने कहा कि घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों के लिए पूर्वी भारत में बिहार का विशेष सामरिक लोकेशन है। अधिकांश जिले बिहार या आसपास के राज्यों के नजदीकी हवाई अड्डों मसलन पटना, दरभंगा, गया, गोरखपुर, वाराणसी, बागडोगरा के जरिए शेष भारत से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के पूरा होने के बाद माल के परिवहन में बहुत सहूलियत आएगी। कहा कि वर्तमान में सड़क एवं रेल परिवहन का जाल बिहार में बहुत ही अच्छा है।

एक्पोर्ट हेतु फ्रेट सब्सिडी के मामले पर श्री हुसैन ने कहा कि उद्योग जगत की हर जायज मांग पर सरकार खुले दिल से विचार करेगी। राज्य ने सिंगल विंडो सिस्टम को वास्तव में प्रभावी बनाने के लिए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (सीएएफ) की ऑनलाइन फाइलिंग की प्रणाली सुदृढ़ की है और अब यह पूरी तरह चालू है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 1.7.2021)

सिटी में एलईडी बल्ब, गुलजारबाग में स्टील फर्नीचर और फतुहा में लगेंगी लेदर इंडस्ट्रीज

जिले में मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर योजना के तहत तीन क्लस्टर का चयन किया गया है। डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 2021 को हिन्दी भवन में आयोजित बैठक के दौरान 30 करोड़ की राशि से बनने वाले तीनों कलस्टर के डीपीआर की स्वीकृति दी गयी है। इसमें एलईडी बल्ब क्लस्टर पटना सिटी, स्टील फर्नीचर क्लस्टर गुलजारबाग, लेदर इंडस्ट्रियल क्लस्टर फतुहा शामिल है। डीएम ने कहा कि चयनित किए जाने वाले प्रत्येक कलस्टर की अनुमानित लागत करीब 10 करोड़ है। इस क्लस्टर से गुणवतापूर्ण उत्पाद राज्य के लोगों को प्राप्त होगा।

उन्होंने कहा कि इसमें विश्वस्तरीय मशीन, उच्च कोटि की गुणवत्ता वाला कच्चा माल और काम करने वाले कुशल श्रमिकों को कुशल प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। ताकि, सभी क्लस्टर बड़े-बड़े औद्योगिक इकाइयों से प्रतिस्पर्धा में आ सके। इससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही लोगों को कम लागत पर अच्छी सामग्री प्राप्त होगी। लोगों को उत्पाद के संबंध में जानकारी देने के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना की जाएगी। इस मौके पर डीआरडीए डायरेक्टर अरविन्द कुमार, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक अमरनाथ दुबे, सहायक जिला योजना पदाधिकारी सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 21.7.2021)

सुपौल में बनेगा मखाना क्लस्टर, इथेनॉल इकाइयों का भी प्रस्ताव

उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दिनांक 11.8.2021 को सुपौल के चैनसिंहपट्टी के बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) के औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इस औद्योगिक क्षेत्र को मखाना उद्योग क्लस्टर के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि सुपौल में इथेनॉल उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए काफी प्रस्ताव आए हैं। लेकिन इस क्षेत्र में अन्य खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) उद्योगों की स्थापना के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि मखाना उद्योग क्लस्टर तैयार होने से क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा।

उद्योग मंत्री ने सुपौल के चैनसिंहपट्टी बियाडा क्षेत्र का दायरा बढ़ाने का निर्देश सुपौल के जिलाधिकारी को दिया। अभी इस औद्योगिक क्षेत्र में फिलहाल 70.33 एकड़ जमीन मिली हुई है। उन्होंने कहा इस औद्योगिक क्षेत्र के आसपास करीब 50 एकड़ सरकारी जमीन की भी उपलब्धता है। उद्योग मंत्री ने जिलाधिकारी से कहा है कि इन सरकारी जमीनों को भी औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ने के लिए जरूरी प्रक्रिया करें। मंत्री ने औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े सड़क की चौड़ीकरण, हाइवे से बेहतर कनेक्टिविटी और मनरेगा योजना का इस्तेमाल करते हुए पूरे औद्योगिक क्षेत्र में मिट्टी भराई के लिए भी संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया।

(साभार : दैनिक भास्कर, 12.8.2021)

विशेष इस्पात के उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा भारत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी। इस योजना की अवधि वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 तक पाँच वर्षों की होगी। 6322 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ इस योजना से करीब 40,000 करोड़ रुपये का निवेश होने और विशेष इस्पात के लिए 25 मिलियन टन क्षमता का संवर्धन होने की उम्मीद है। इस योजना से करीब 5.25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा जिसमें से 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार होगा।

केन्द्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस्पात क्षेत्र के लिए सरकार की ओर से यह बहुत ही सामयिक, साहसिक एवं ऐतिहासिक निर्णय है। इससे न सिर्फ उत्पादन बढ़ेगा बल्कि पूंजी निवेश भी होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे वर्ष 2026-27 तक देश में 42 मिलियन टन विशेष इस्पात का उत्पादन होगा जिसका मूल्य 2.5 लाख करोड़ होगा। अभी देश में विशेष इस्पात का उत्पादन केवल 18 मिलियन टन है।

उन्होंने कहा कि इससे निर्यात में भी बढ़ोतरी होगी और देश से करीब

5.5 मिलियन टन विशेष इस्पात का निर्यात होगा जिससे करीब 33,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। विशेष इस्पात के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनकर भारत इस्पात की मूल्य श्रृंखला मे उन्नति करेगा और कोरिया और जापान जैसे उन्नत इस्पात विनिर्माणकारी देशों के समकक्ष आएगा। इस योजना का लाभ बड़े भागीदारों अर्थात एकीकृत इस्पात संयंत्रों और छोटे भागीदारों (द्वितीय इस्पात भागीदार), दोनों को प्राप्त होगा। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 23.7.2021)**

'ब्रांड इंडिया' को आगे बढ़ाना है केन्द्र उद्योग जगत के साथ – मोदी

भारतीय अर्थव्यवस्था फिर तेजी से बढ़ रही है: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उद्योग जगत से देश में विनिर्माण को गति देने और 'ब्रांड इंडिया' को आगे बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) की सालाना बैठक को 'ऑनलाइन' संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से तेजी से आगे बढ़ रही है और विभिन्न क्षेत्रों में नये अवसर सृजित हो रहे हैं। ऐसे में उद्योगों को अपनी जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व, भारतीय उद्योगों पर है, भारत के विकास और क्षमता को लेकर जो भरोसे का माहौल बना है, उन्हें उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए।

कारोबार सुगमता के लिए कई कदम उठाये : प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कारोबारी सुगमता के लिए सुधारों को तेजी से आगे बढ़ा रही है और महामारी के दौरान भी हमने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा, हमने हाल में कंपनी कानून में बदलाव कर कई प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाया है। श्रम सुधारों पर ध्यान दिया जा रहा है। हमने संसद के मौजूदा सत्र में अतीत की गलतियों को सुधारते हुए पूर्व तिथि से कर लगाने के कानून को समाप्त किया। इससे उद्योग के बीच भरोसा बढ़ेगा।

आ रहा रिकॉर्ड एफडीआइ : उन्होंने कहा कि सुधारों का ही नतीजा है कि देश में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आ रहा है और एफपीआइ में भी नये रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँच गया है।

बढ़ रहा है आत्मविश्वास : पीएम ने कहा, देश में हर क्षेत्र में भरोसा बढ़ रहा है। इसी प्रकार का आत्मविश्वास आज भारत के स्टार्टअप में है। यूनिकार्न नये भारत की पहचान भी बन रहे हैं। आज भारत में करीब 60 यूनिकार्न हैं। **(साभार : प्रभात खबर, 12.8.2021)**

बिजली कंपनी आप बदल सकेंगे

उपभोक्ता बहुत जल्द मोबाइल कंपनी की तरह बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी चुन सकेंगे। इसके लिए सरकार बिजली कानून में संशोधन करने संबंधी बहुप्रतीक्षित विधेयक मानसून सत्र में लाएगी।

इसमें एक क्षेत्र में कई कंपनियों को आपूर्ति करने की जिम्मेदारी दी जाएगी जिससे उपभोक्ताओं के पास अपनी पसंद की कंपनी चुनने का विकल्प होगा। यह कानून विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति के साथ ही दूसरी सुविधाएँ देने भी का रास्ता साफ करेगा। यह विधेयक बिजली क्षेत्र में क्रास सब्सिडी को खत्म करने और बिजली वितरण में प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देगा। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह ने कहा कि इसमें कंपनियों पर अक्षय ऊर्जा खरीद की शर्त कड़ाई से लागू की जाएगी। इसके अलावा विधेयक में क्रॉस सब्सिडी यानी एक वर्ग से ऊँचा मूल्य लेकर दूसरे वर्ग के सस्ती दर पर बिजली देने का अंतर 20% से कम रखने की नीति अनिवार्य की जाएगी।

सभी राज्य तैयार : आर. के. सिंह

केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह ने कहा, हम बिजली कानून में कई संशोधन ला रहे हैं। इसमें वितरण नेटवर्क और बिजली आपूर्ति कारोबार को अलग करने का भी प्रावधान होगा। जिस प्रकार हमने उत्पादन और वितरण को अलग किया, अब आपूर्ति और वितरण कारोबार को अलग-अलग करना है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी राज्य ने अभी तक इसपर असहमति नहीं जताई है। साथ ही इसके तहत पुरानी कंपनियों को बेदखल नहीं किया जाएगा बल्कि बाजार में नई कंपनियों को भी मौका दिया जाएगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 17.7.2021)

बस में आधी सीटों पर ही यात्री तो टैक्स की पूरी वसूली क्यों?

बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की 16.7.2021 को मीठापुर बस स्टैंड में परिवहन व्यवसाय को लेकर बैठक की गई। प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने निजी परिवहन व्यवसाय को खत्म करने पर उतारू सरकारी व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। कहा कि कोरोना काल में बस मालिकों को 50 फीसदी सीटों पर यात्रियों को बैठाने का आदेश दिया गया जबकि हमें टैक्स, इंश्योरेंस, परमिट सहित अन्य तरह के टैक्स का शुल्क पूरा लिया जाता है। कोरोना काल में टैक्स भी 50 फीसदी लेना चाहिए था। सरकार से मांग है कि अप्रैल से जुलाई 2021 तक का टैक्स माफ किया जाए। बिहार से बाहर की अवैध बसों के परिचालन पर रोक लगाई जाए। निजी बसों को चेक करने का अधिकार थाने से वापस लिया जाए। निजी बसों में फुल सीटों पर परिचालन शुरू करने की अनुमति दी जाए। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 17.7.2021)**

जिलों में डीएम की निगरानी में अब लगेंगे स्मार्ट प्री-पेड बिजली मीटर

बिहार में स्मार्ट बिजली प्री-पेड मीटर लगाने की योजना पर अब जिलाधिकारियों की नजर रहेगी। जुलाई 22 तक राज्य में साढ़े 23 लाख मीटर लगाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिजली कंपनी ने अब डीएम की सहायता लेने का निर्णय लिया है। सूबे के ऊर्जा सचिव संजीव हंस ने इस बाबत सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर जिला प्रशासन को सहयोग करने को कहा है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 16.7.2021)

बिहार में नदियों पर बिछा पुलों का जाल

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के मार्गदर्शन में प्रदेश में पुल-पुलियों का जाल बिछ रहा है। आजादी के बाद 1950 से लेकर 2005 तक बिहार की छः प्रमुख नदियों पर मात्र 16 पुल थे। जबकि 2005 से 2020- 2021 के बीच इन्हीं छः नदियों पर 25 पुल बनाकर जनता को समर्पित कर दिया गया और 14 पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है। दो पुलों का टेंडर किया जा चुका है और पाँच पुल प्रस्तावित हैं।

- **गंगा पर मौजूदा पुलों की स्थिति :** बक्सर पुल, आरा-छपरा, जेपी सेतु, राजेन्द्र सेतु, गाँधी सेतु और विक्रमशिला सेतु

निर्माणाधीन पुल : जेपी सेतु के समानांतर, गाँधी सेतु के समानांतर, कच्ची दरगाह-बिदुपुर, बख्तियारपुर-ताजपुर, मोकामा पुल के समानांतर, मुंगेर पुल, विक्रमशिला सेतु के समानांतर।

प्रस्तावित : शेरपुर-दिघवारा, बेगूसराय के मटिहानी से शाम्हो के बीच बनने वाले पुल **(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 21.7.2021)**

सुधार के बाद भी 21वें और 25वें पायदान पर बिहार की बिजली कंपनियाँ

बिजली कंपनी की ताकत : • राज्य सरकार से तय समय में हर साल अनुदान लेना • कंपनी के आय-व्यय का सही समय पर ऑडिट कराना • कम दिनों में कंपनी की ओर से देनदारी का भुगतान करना

बेहतर करने को टास्क : • तकनीकी व व्यवसायिक नुकसान को कम करना • बिजली खरीद में हो रहे खर्च को कम करना होगा • आमदनी बढ़ाने को बिजली दर में समानुपातिक वृद्धि

"बिजली नुकसान कम करने में लगातार सफलता मिल रही है। आने वाले वर्षों में कंपनियों का प्रदर्शन और बेहतर होगा।"

– संजीव हंस, ऊर्जा सचिव सह सीएमडी, कंपनी

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 18.7.2021)

दरभंगा में बन रहा तैरता हुआ प्रदेश का पहला सोलर पावर प्लांट

• दरभंगा में 1.6 मेंगावाट का तैरता सोलर पावर प्लांट इसी वर्ष अस्तित्व में आ जाएगा • दूसरा तैरता सोलर पावर प्लांट सुपौल में बन रहा, दुर्गावती और फुलवरिया डैम पर भी चल रही तैयारी

रिन्यूबेल एनर्जी के क्षेत्र में भी बिहार एक नई कहानी लिखने की तैयारी कर रहा। बिहार में इसी वर्ष फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट अस्तित्व में आ जाएगा। एक नहीं दो-दो जगहों पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा। इसके अतिरिक्त जल संसाधन विभाग के फुलवरिया व दुर्गावती डैम पर भी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की तैयारी कर रहा। देश में अभी इस तरह की क्षमता वाले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट नहीं।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 18.7.2021)

सरकारी सहायता से अरवा चावल मिलें नहीं लगेंगी

राज्य में अब सरकारी सहायता से अरवा चावल के मिल नहीं लगेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जन वितरण दुकानों में उसना चावल देने को स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर माना तो सहकारिता विभाग ने उसना चावल मिलों पर ही काम करना शुरू कर दिया है। विभाग नये मिलों की डीपीआर तो बनाएगा ही साथ में पुराने अरवा चावल मिलों को उसना में बदलने की लागत का भी आकलन करेगा। लागत अनुमान के अनुसार हुआ तो नयी मिलों के साथ पुरानी का भी उसना में बदलने की प्रक्रिया शुरू होगी।

राज्य में क्यों नहीं लगेंगी अरवा चावल की मिलें : स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर होने के कारण जन वितरण दुकानों में उसना चावल देने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। चूँकि सरकारी सहायता से स्थापित चावल मिलों से ही पीडीएस की दुकानों में चावल की सप्लाई होती है, इसलिए अब उसना चावल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केवल इसी मिल के लिए सरकारी सहायता दी जाएगी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 16.7.2021)**

जीएसटी के 4 साल : तीन में दो उपभोक्ता चाहते हैं दर में हो बदलाव

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के चार साल को पूरे हो रहे हैं। देश में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। चार साल पूरे होने के अवसर पर लोकलसर्किल द्वारा किए गए सर्वे में इस कर व्यवस्था को लेकर उपभोक्ताओं और कारोबारियों से कई सुझाव मिले हैं। सर्वे में शामिल तीन में दो उपभोक्ता चाहते हैं कि जीएसटी के मौजूदा दर में बदलाव किया जाए जिससे उन पर टैक्स का बोझ घटे।

जीएसटी को लेकर उपभोक्ताओं की राय : • 55% उपभोक्ता चाहते हैं कि 12% और 18% स्लैब को मिलाकर नया स्लैब 15% बनाया जाए • 68% उपभोक्ता चाहते हैं कि सर्विस सेक्टर पर जीएसटी की दर घटाकर 12% की जाए • 45% उपभोक्ता जीएसटी व्यवस्था को लेकर संतुष्ट हैं जबकि 29% ने असंतोष जताया • 44% उपभोक्ता चाहते हैं कि जीएसटी के तहत तीन टैक्स रेट हों जबकि 22% को दो पसंद

जीएसटी को लेकर कारोबारियों की राय : • 43% कारोबारियों ने जीएसटी को लेकर संतुष्टि जताई जबकि 28% नाखुश दिखे • 46% कोरोबारियों ने कहा कि जीएसटीएन वेबसाइट से रिटर्न भरने में समस्या हुई • 64% कारोबारियों ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद मासिक लेखा लागत बढ़ी • 47% कारोबारियों ने कहा कि इनपुट और आउटपुट इनवायस का मिलना सबसे मुश्किल

चुनौतियाँ कायम : 1. पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाना 2. राज्यों की क्षतिपूर्ति का मामला 3. टैक्स चोरी को रोकना 4. कारोबारियों को सहुलियत देना 5. कई सेवा और वस्तुओं पर टैक्स को कम करना

दर घटी, करदाता बढ़े : जीएसटी व्यवस्था के चार साल पूरे होने के मौके पर वित्त मंत्रालय ने कहा कि अब तक 66 करोड़ से अधिक जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए, कर की दरों में कटौती हुई और करदाताओं की संख्या में बढ़ी है। पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी जीएसटी एक जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जिसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट और 13 उपकर जैसे कुल 17 स्थानीय कर समाहित थे। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि जीएसटी ने सभी करदाताओं के लिए अनुपालन को सरल बना दिया है और 40 लाख तक कारोबार वाले व्यवसायों को कर से छूट दी गई है।

"जीएसटी भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हुई है। इसने करों की संख्या कम की है, अनुपालन बोझ के साथ ही आम आदमी पर कुल मिला कर करों का बोझ कम किया है।" **– नरेन्द्र मोदी,** प्रधानमंत्री

(साभार : हिन्दुस्तान, 1.7.2021)

कर मुक्त श्रेणी से कुछ वस्तुएँ व सेवाएँ बाहर करेगी जीएसटी परिषद

• कुछ वस्तुओं और सेवाओं की दरों में हो सकती है कभी • जीएसटी की ऊंची दरों से वाहन क्षेत्र परेशान • उलटी शुल्क संरचना को ठीक करेगी सरकार • सरकार को इस वित्त वर्ष में मजबूत कर राजस्व की उम्मीद

राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि कारपोरेट क्षेत्र के उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन के सहारे सरकार चालू वित्त वर्ष में 'बहुत मजबूत' कर राजस्व की उम्मीद कर रही है। यह मानते हुए कि, जीएसटी की ऊँची दरें मोटर वाहन क्षेत्र को प्रभावित कर रही है, बजाज ने कहा कि जीएसटी परिषद उन दरों को कम करने के लिए समाधान पर ध्यान देगी जो बहुत अधिक है, कर-मुक्त श्रेणी से कुछ वस्तुओं को बाहर निकालेगी और उल्टी शुल्क संरचना को ठीक करेगी।

उन्होंने सीआईआई के एक वार्षिक सत्र में कहा, 'जब मैं वर्तमान पहली तिमाही को देखता हूँ, तो परिणाम आने शुरू हो गए हैं और (कर) राजस्व भी आने लगे हैं।

पहला अग्रिम कर समाप्त हो गया है, टीडीएस की तारीख आ रही है और जा रही है, मुझे एक बहुत ही मजबूत कर राजस्व आते दिखाई दे रहा है।' बजाज ने कहा, 'ऐसा नहीं है कि हमने करों में वृद्धि की है, या हम अधिक दखल दे रहे हैं और हम आपसे अधिक करों का भुगतान करने के लिए कह रहे है। इस चीज के पीछे अच्छी बात यह है कि शायद कारपोरेट क्षेत्र हमारी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इसलिए यह अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बात है।'

चालू वित्त की अप्रैल-जून तिमाही में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 2.46 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष (2020-21) की इसी अवधि के दौरान 1.17 लाख करोड़ रुपये से अधिक का संग्रह हुआ था। चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (जीएसटी और गैर-जीएसटी) राजस्व संग्रह 3.11 लाख करोड़ रुपए था।

बजाज ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में कहा कि ऐसी बहुत सी वस्तुएँ है जिन पर कर दरों में बदलाव की जरूरत हो सकती है, लेकिन पहले व्यवस्था को स्थिर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, 'कर दरों पर, जब आप मोटर वाहन क्षेत्र की बात करते है तो मैं काफी सहमत हूँ। आप दोपहिया वाहनों के बारे में बात कर रहे है, लेकिन मैं कहूँगा कि चार पहिया वाहनों पर हम न केवल 28 प्रतिशत कर लगाते है, बल्कि उपकर भी लेते है जो कि बहुत अधिक है और जैसा कि मैं देख रहा हूँ, यह कुछ और वर्षों तक जारी रहेगा। राजस्व सचिव ने कहा, "इन सबका उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 12.8.2021)**

बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी बेच सकेंगे, शुद्धता तय करेगी कीमत

राज्य के 13 जिलों में हॉलमार्क अनिवार्य हो गया है। अब वहाँ हॉलमार्क ज्वेलरी की बिक्री शुरू हो गई है। ग्राहकों को मानक के मुताबिक सोना मिले इसके लिए हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया गया। इससे ज्वेलरी की गुणवत्ता और शुद्धता को लेकर ग्राहकों का भरोसा और बढ़ गया है। ग्राहकों मन में अब सभी दुकानों और शोरूम पर सोने की ज्वेलरी में किसी तरह की मिलावट की आशंका नहीं है। हॉलमार्क ज्वेलरी खरीद रहे ग्राहकों में उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन, घर में पड़े पुराने आभूषणों को लेकर उनके मन में संशय बना हुआ है। सोशल मीडिया सहित अन्य प्लेटफॉर्म पर मिल रही तरह-तरह की जानकारियों ने ग्राहकों की उलझनों को और बढ़ा दिया है। ग्राहकों की इन उलझनों को दूर करने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने ग्राहकों के उलझनों को दूर किया।

राज्य के 13 जिलों में हॉलमार्क अनिवार्य हो गया है

1. ग्राहक को खरीदारी करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

सोने के आभूषण की किसी भी बड़े छोटे शोरूम और दुकान से खरीदारी करने से पहले ग्राहक को यह देखना चाहिए कि वह बीआईएस से रजिस्टर्ड है या नहीं? सभी प्रतिष्ठानों को रजिस्ट्रेशन संबंधित जानकारी डिस्प्ले करनी है। साथ ही आभूषण पर हॉलमार्क को भी देखें।

2. वर्षों पहले खरीदे गए बिना हॉलमार्क वाले आभूषणों का क्या होगा?

ग्राहक पुराने बिना हॉलमार्क वाले आभूषणों को कहीं भी बेच सकता है। इसमें उसे कोई परेशानी नहीं होगी।

3. पुराने बिना हॉलमार्क वाले आभूषणों की कीमत कैसे तय होगी?

बिना हॉल मार्क वाले पुराने सोने के आभूषणों की कीमत दुकानदार द्वारा उसकी शुद्धता के आधार पर तय की जाएगी।

4. ज्वेलरी की शुद्धता को लेकर शंका हो तो ग्राहक को क्या करना होगा?

ज्वेलरी की शुद्धता पर शंका होने या मानक के मुताबिक सोना नहीं होने पर ग्राहक के पास ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में शिकायत का अधिकार है।

हॉलमार्किंग क्यों जरूरी : ज्वेलर्स को 14, 18, 22 और 24 कैरेट गोल्ड की हॉलमार्क ज्वेलरी बेचने की अनुमति है। उपभोक्ताओं को मानक के हिसाब से सोना मिले इसके लिए हॉलमार्क को जरूरी बनाया गया। ज्वेलरी में मानक के मुताबिक सोना नहीं होने पर उपभोक्ता के पास बीआईएस में शिकायत का अधिकार होगा।

यहाँ अनिवार्य हॉलमार्किंग : पटना , मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर, रोहतास, बक्सर, छपरा, गया, भोजपुर, नालंदा, नवादा, समस्तीपुर।

(साभार : दैनिक भास्कर, 1.7.2021)

पुराने गहनों के खरीद व बिक्री मूल्य के अंतर पर देना होगा जीएसटी

जौहरियों को पुराने सोने के आभूषणों को दोबारा बेचने पर होने वाले मुनाफे के लिए ही जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) का भुगतान करना होगा। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर), कर्नाटक ने यह व्यवस्था दी है। दरअसल, बेंगलुरु की आद्या गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने एएआर में आवेदन दायर कर यह जानकारी मांगी थी कि यदि कंपनी किसी व्यक्ति से पुराना सोने का आभूषण खरीदती है और बाद में बेचने के समय उस उत्पाद के रूप में कोई बदलाव नहीं होता है, तो क्या जीएसटी का भुगतान खरीद और बिक्री मूल्य के अंतर पर ही करना होगा। एएआर की कर्नाटक पीठ ने फैसले में कहा है, जीएसटी सिर्फ बिक्री और खरीद मूल्य के अंतर पर ही देना होगा, क्योंकि आवेदक पुराने आभूषण के स्वरूप में बदलाव नहीं कर रहा है और सिर्फ उसे साफ और पालिश करके बेच रहा है। **(साभार : दैनिक जागरण, 19.7.2021)**

नए बस टर्मिनल का बढ़ेगा दायरा, मिलेगी 15 एकड़ जमीन

• 25 एकड़ क्षेत्र में फैला है वर्तमान आइएसबीटी • 40 एकड़ क्षेत्र हो जाएगा जमीन अधिग्रहण के बाद

बैरिया स्थित नए बस स्टैंड पाटलिपुत्र आइएसबीटी का विस्तार होगा। नवनिर्मित बस स्टैंड के लिए 15 एकड़ और जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस पर करीब 200 करोड़ की राशि खर्च होने का अनुमान है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने पटना डीएम को जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है।

वर्तमान में पाटलिपुत्र बस स्टैंड करीब 25 एकड़ क्षेत्र में बना हुआ है। विस्तार के बाद इसका दायरा 40 एकड़ हो जाएगा। इसके लिए टर्मिनल के दक्षिण के हिस्से में जमीन चिह्नित की गई है। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 21.7.2021)**

एयरपोर्ट परिसर में ई-रिक्शा शुरू, इंट्री फ्री पर गेट के बाहर निकलने को लगेंगे ₹ 10

एयरपोर्ट परिसर में ई-रिक्शा सेवा शुरू की गई है। 10 ई-रिक्शा शुरू किए गए हैं। ये ई-रिक्शा टर्मिनल भवन और इंट्री गेट के पास लगे रहते हैं। इंट्री गेट से अंदर आने का पैसा नहीं लगेगा जबकि टर्मिनल भवन से बाहर निकलने के लिए 10 रुपए का भुगतान करना होगा। दरअसल इससे उन यात्रियों को सुविधा मिलने लगी है, जो ऑटो या रिक्शा से एयरपोर्ट आते हैं और उन्हें मुख्य प्रवेश द्वार पर उतरना पड़ता है। वहीं वैसे यात्री जो पटना आए हैं और उनके पास वाहन नहीं हैं तो वे ऑटो पकड़कर बाहर निकल जाएँगे।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 21.7.2021)

हर इमरजेंसी के लिए डायल करें 112

इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम को किया जा रहा विकसित, जल्द ही सेवा होगी शुरू

राज्य में अभी तक अलग-अलग इमरजेंसी सेवाओं के लिए अलग-अलग नंबर हैं। पुलिस के लिए 100, फायर ब्रिगेड के लिए 101 और एंबुलेंस के लिए 102 इमरजेंसी नंबर डायल करना होता है, मगर अब जल्द ही हर तरह की इमरजेंसी सेवा के लिए एक ही नंबर 112 डायल करना होगा। इसके लिए राज्य में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) विकसित की जा रही है। गृह विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। इस साल अक्टूबर- नवम्बर तक राज्य में यह सेवा शुरू होने की संभावना है। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 17.7.2021)**

डीडीसी अब जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नहीं रहेंगे

उप विकास आयुक्त (डीडीसी) की जगह बिहार प्रशासनिक सेवा के नये पदाधिकारी देखेंगे उनका काम

उप विकास आयुक्त (डीडीसी) अब जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नहीं रहेंगे। वहीं, प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेदारी से मुक्त होंगे। जिला परिषद में डीडीसी की जगह बिहार प्रशासनिक सेवा के नये पदाधिकारी पदस्थापित किये जाएँगे। जबकि बीडीओ की जगह प्रखंड के पंचायती राज पदाधिकारी को कार्यपालक पदाधिकारी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। इसको लेकर पंचायती राज अधिनियम, 2006 में संशोधन विधेयक अब विधानमंडल के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 17.7.2021)**

अक्टूबर से पटना में मिलने लगेगा कंपोजिट सिलिंडर

पटना गया और मुजफ्फरपुर में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से लोगों के घरों में स्मार्ट सिलिंडर से खाना पकने लगेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन

(आइओसी) ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस नये सिलिंडर को कंपोजिट सिलिंडर का नाम दिया गया है, इसकी विशेषता यह है कि आपको इसमें यह पता चल जायेगा कि कितनी गैस बची हुई है और कितनी खर्च हो गयी है। कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार मौजूदा वक्त में कंपोजिट सिलिंडर दिल्ली, हैदराबाद, फरीदाबाद और लुधियाना में चुनिंदा वितरकों के पास ही हैं, जो पाँच किलो और 10 किलो के साइज में उपलब्ध हैं। जल्दी ही इसे सूबे के तीन जिलों में उपलब्ध कराया जायेगा। पटना गया और मुजफ्फरपुर जिले में सर्वे का काम पूरा हो गया है। सामान्य सिलिंडर की तरह ही कम्पोजिट सिलिंडर की होम डिलिवरी होगी।

देना होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट : अधिकारियों की मानें, तो जिन ग्राहकों को कंपोजिट सिलिंडर चाहिए, उन्हें इसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। 10 किलो वाले सिलिंडर के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 3350 रुपये है, जबकि पाँच किलो वाले सिलिंडर के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 2150 रुपये है। इंडेन के ग्राहक अपना मौजूदा सिलिंडर नये कंपोजिट सिलिंडर से एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट का अंतर पेमेंट करना होगा।

(साभार : प्रभात खबर, 20.7.2021)

स्मार्ट सिटी मिशन : बिहार में 1205 करोड़ रुपये के 37 प्रोजेक्ट हुए पूरे

वर्ष 2015 में केन्द्र सरकार ने देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया था। जनवरी 2016 से जून 2018 के दौरान चार राउंड की समीक्षा के बाद इन शहरों का चयन किया गया, शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार 9 जुलाई 2021 तक इन शहरों में 180873 करोड़ रुपये की 6017 प्रोजेक्ट की निविदा जारी की जा चुकी है, जिनमें से 149251 करोड़ रुपये की 5375 प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है और 48150 करोड़ रुपये के 2781 प्रोजेक्ट का काम पूरा हो चुका है। पिछले तीन साल में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत निविदा जारी करने में 260 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गयी है, जबकि प्रोजेक्ट शुरू होने और पूरा होने में 380 फीसदी की वृद्धि देखी गयी। इस मद में केन्द्र सरकार में अपने हिस्से के 23925.83 करोड़ रुपये राज्यों को जारी किया है, जिसमें राज्यों ने 20410.14 करोड़ रुपये यानि 85 फीसदी का उपयोग कर लिया है।

क्या है बिहार की स्थिति : स्मार्ट सिटी के विकास के राज्यवार आंकड़े पर गौर करें तो बिहार में 2042.74 करोड़ रुपये के 31 प्रोजेक्ट नीलामी प्रक्रिया के स्तर पर हैं, जिसमें भागलपुर में 964.70 करोड़ के चार प्रोजेक्ट, बिहारशरीफ में 577.25 करोड़ रुपये के पाँच, मुजफ्फरपुर में 179.27 करोड़ के 13 और पटना में 321.52 करोड़ रुपये के 9 प्रोजेक्ट हैं।

(साभार : प्रभात खबर, 12.8.2021)

वेब एप्लीकेशन, प्रखंड मुख्यालयों पर जाँच उपकरण और हवाई अड्डों पर इलेक्ट्रॉनिक वेइंग इंस्ट्रूमेंट का लोकार्पण

व्यापारियों को राहत : लाइसेंस ऑनलाइन, बाट पर मुहर जरूरी

कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा है कि सरकार ने राज्यभर के व्यापारियों-कारोबारियों को कृषि विभाग ने बड़ी राहत दी है। बाट-माप उपकरणों के मुहरांकन (प्रमाणित) को छोड़कर सभी सेवाएँ ऑनलाइन कर दी गयी हैं। अब माप-तौल उपकरणों के निर्माण, बिक्री और मरम्मत संबंधी लाइसेंस लेने अथवा उसके नवीनीकरण के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। डिब्बाबंद वस्तुओं के निर्माता, आयातक और पैकर के पंजीकरण में भी आसानी होगी। माप-तौल संभाग की कार्यप्रणाली को ऑनलाइन करने के लिए कृषि विभाग के माप-तौल संभाग ने वेब एप्लीकेशन e-Maaptaul(https://maaptaul.bih.nic.in) बनाया है। मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने दिनांक 21.7.2021 को बामेती सभागार में आयोजित समारोह में वर्चुअल तरीके से राज्य के 423 प्रखंड मुख्यालय पर पर माप-तौल जाँच उपकरण व राज्य के तीन हवाई अड्डों पर चार इलेक्ट्रॉनिक वेइंग इंस्ट्रूमेंट का लोकार्पण किया। जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना पर एक, बोधगया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर एक और दरभंगा हवाई अड्डा पर दो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग इंस्ट्रूमेंट स्थापित किये गये हैं। यात्री अब अपने सामान की निःशुल्क तौल कर सकेंगे।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 22.7.2021)

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

सूचना

नए बिजली कनेक्शन हेतु सेवाओं की जानकारी

नये विद्युत संबंध के इच्छुक आवेदकों के लिए सुविधा एप

1. NBPDCL (नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) एवं SBPDCL (साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) के द्वारा नए विद्युत संबंध एवं कई अन्य सेवाओं के लिए सुविधा एप बनाया गया है।
2. यह एप गूगल प्ले स्टोर से निः शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।
3. नए विद्युत संबंध हेतु आवेदन केवल सुविधा एप या वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्राप्त किया जा रहा है।
4. आवेदन के समय किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है।
5. कोविड-19 महामारी एवं कई इलाकों में बाढ़ के बावजूद आवेदकों को क्रमबद्ध तरीके से नियमानुकूल विद्युत संबंध प्रदान किये जा रहे है। अब तक लगभग 9 लाख नए विद्युत संबंध सुविधा एप के माध्यम से दिए जा चुके हैं।
6. आवेदक अपने आवेदन की वतर्मान स्थिति की जानकारी सुविधा एप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

हमारा आधार... उर्जस्वित बिहार

(साभार : हिन्दुस्तान, 12.8.2021)

टोल फ्री नंबर 1912 पर करें स्मार्ट मीटर की शिकायत

अगले साल तक पूरे शहर को स्मार्ट मीटर से लैस करने का लक्ष्य तय किया गया है। उसके तहत शहर में तेजी से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। पेसू ने उसके लिए एक टोल फ्री नंबर 1912 और मोबाइल नंबर 8102721830 जारी किया है। इसपर स्मार्ट मीटर से संबंधित हर तरह की शिकायत उपभोक्ता कर सकेंगे, जिसका निदान पेसू द्वारा किया जाएगा।

स्मार्ट मीटर में मीटर रिचार्ज के बाद बिजली बहाली में देरी की और तेज मीटर रीडिंग की शिकायत होती है। स्मार्ट मीटर एप पर बिजली खपत की जानकारी सही से नहीं मिलने की शिकायत भी आते रहती है। इन सबको दूर किया जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट मीटर वाले वैसे उपभोक्ता जो मीटर से जुड़ी समस्या व्यक्तिगत रूप से रखना चाहते हैं तो उसके लिए पेसू प्रमंडल कार्यालय में सुविधा केन्द्र स्थापित किया गया है। यह केन्द्र सप्ताह में दो दिन मंगलवार और शानिवार को दोपहर तीन से शाम पाँच बजे तक संचालित होगा। उपभोक्ता इसबीच अपनी शिकायत रख सकते हैं। उपभोक्ताओं को सुविधा केन्द्र पर आने से पहले मोबाइल न. 9264454456 पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और समस्या लिखवानी होगी। इसके बाद उसी दिन उपभोक्ताओं को अपनी समस्या रखने के लिए सुविधा केन्द्र बुलाया जाएगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 21.7.2021)**

IMPORTANT INFORMATION

Ministry of HRD, Govertment of India has published a booklet which contains detailed information for students pursuing of Higher Studies. Such as details about various fields, Courses which students can pursue after 10th or 12th examination.

This booklet is available in the Chamber's Office in PDF File. Interested members may contact Chamber Office.

अब दुर्घटनाओं का थाना स्तर पर होगा अध्ययन

राज्यभर में अब सड़क दुर्घटनाओं का थाना स्तर पर अध्ययन करने का निर्णय लिया गया है। जिसमें थानावार दुर्घटनाओं का आंकड़ा तैयार होगा। वहीं, दुर्घटना का कारण सामने आते ही संबंधित विभाग उसका समाधान करेगा।

(विस्तृतः प्रभात खबर, 22.7.2021)

एस. जी. एस. टी. प्रतिपूर्ति हेतु सिंगल विंडो पोर्टल पर आवेदन के लिए उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश ज्ञापांक 1229 दिनांक 15 जून 2021 की प्रति आपके अवलोकनार्थ मुद्रित है:-

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
संकल्प

विषय : एस. जी. एस. टी. प्रतिपूर्ति हेतु सिंगल विण्डो पोर्टल पर आवेदन करने के लिए दिशा-निर्देश।

A. सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल पर आवेदन देने की प्रक्रिया : बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 एवं बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011/2006 के अंतर्गत एस. जी. एस. टी. की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार होगी:-

क्र. सं.	विवरणी	बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016	बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011/2006
1	ऑन लाइन आवेदन	उद्योग विभाग के सिंगल विंडो क्लियरेंस के पोर्टल http://www.swc.bihar.gov.in पर आवेदन भरा जाना है।	उद्योग विभाग के सिंगल विंडो क्लियरेंस के पोर्टल http://www.swc.bihar.gov.in पर आवेदन भरा जाना है।
2	परिशिष्ट I एवं II के भाग-1	ऑन लाइन आवेदन भरते समय परिशिष्ट I का भाग 1भरा जाना आवश्यक नहीं है।	ऑन लाइन आवेदन भरते समय परिशिष्ट II का भाग 1 भरा जाना आवश्यक नहीं है।
3	परिशिष्ट I एवं II के भाग-2	परिशिष्ट I के भाग-2 (2016 नीति से संबंधित) ऑफ लाइन भरकर ऑन लाइन आवेदन के साथ संलग्न करें।	परिशिष्ट II के भाग - 2 (2011/2006 नीति से संबंधित) ऑफ लाइन भरकर ऑन लाइन आवेदन के साथ संलग्न करें।
4	वांछित कागजात पोर्टल पर अपलोड करें।	1- विधिवत भरा हुआ हस्ताक्षरित परिशिष्ट I के भाग 2 की छाया प्रति। 2- क्षमता निर्धारण प्रमाण पत्र यदि महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/ एम.एस.एम.ई. के निदेशक द्वारा निर्गत हो तो संलग्न करें।	1- विधिवत भरा हुआ हस्ताक्षरित परिशिष्ट II के भाग 2 की छाया प्रति। 2- क्षमता निर्धारण प्रमाण पत्र यदि महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र/ एम.एस.एम.ई के निदेशक द्वारा निर्गत हो तो संलग्न करें। 3- राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का सहमति पत्र की प्रति। 4- वैट / जी. एस. टी. पात्रता प्रमाण पत्र की प्रति। 5- वैट/जी.एस.टी. के पासबुक की प्रति। 6- वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि के प्रमाण पत्र की प्रति। 7- निवेश के संबंध में सी.ए. का प्रमाण पत्र।

B. विस्तार / आधुनिकीकरण के मामले में:-

यदि विस्तार/आधुनिकीकरण का मामला हो तो निम्नलिखित नियम एस.जी.एस.टी. के प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र भरने के समय अनुपालन करें:-

i. उन सभी विस्तार / आधुनिकीकरण के मामलों में जहाँ पर मूल इकाई समान नीति के तहत पात्र हो या न हो, तो मूल और विस्तार / आधुनिकीकरण इकाईयों के लिए अलग-अलग आवेदन भरने होंगे।

ii. तदनुसार निवेशक इकाई के विस्तार/ आधुनिकीकरण का विस्तृत रूप से परिशिष्ट I एवं II के भाग- 2 के E{2(a)} के तहत ब्यौरा देंगे तथा यह भी उल्लेख करेंगे कि यह आवेदन मूल इकाई या विस्तार / आधुनिकीकरण के लिए भरा जा रहा है।

iii. इसी प्रकार, E{4 (Table 5)} के तहत, उन्हीं इकाईयों की पात्रता उल्लेखित की जायेगी जिनके लिए आवेदन भरा जा रहा है। जैसे कि विस्तारित इकाई के मामले में विस्तारित इकाई वाली ही पात्रता भरी जायेगी।

iv. चूँकि पूरी इकाई के लिए कच्चा माल और बिक्री संयुक्त होता है, मूल और विस्तार / आधुनिकीकरण इकाईयों के लिए अलग-अलग विवरण संभव नहीं है। उन मामलों में पूरी इकाई के लिए Table 4A भरा जायेगा। इस स्थिति में मूल और विस्तार इकाईयों के लिए अलग-अलग एस. जी. एस. टी. प्रतिपूर्ति की गणना स्थापित क्षमता के अनुपात में की जायेगी।

उदाहरण 1 : यदि कोई इकाई अपनी क्षमता का विस्तार 1000 M.T. से बढ़ाकर 1500 M.T. करती है और मूल इकाई और विस्तार इकाई दोनों 2016/ 2011 /2006 नीति के तहत पात्र है:-

उत्पादन क्षमता (इनक्रीमेंटल)	मूल इकाई	विस्तारित इकाई	अनुपात
	1000 M.T.	500 M.T.	2:1

इस मामले में एस. जी. एस. टी. की प्रतिपूर्ति मूल इकाई एवं विस्तारित इकाई को 2:1के अनुपात होगी तथा स्वीकृत राशि संबंधित पात्रता राशि से घटा लिया जायेगा।

उदाहरण - 2 : यदि कोई इकाई अपनी क्षमता का विस्तार 1000 M.T. से 1500 M.T. करती है और केवल विस्तारित इकाई 2016/ 2011/ 2006 नीति के तहत पात्र है: -

स्थापित उत्पादन क्षमता (इनक्रीमेंटल)	मूल इकाई	विस्तारित इकाई	अनुपात
	1000 M.T.	500 M.T.	2:1

इस मामले में एस. जी. एस. टी. की प्रतिपूर्ति 2:1 के अनुपात में मूल और विस्तारित इकाई के बीच आवंटित किया जायेगा और विस्तारित इकाई के लिए स्वीकृत राशि को संबंधित पात्रता सीमा से घटा दिया जायेगा और मूल इकाई के समानुपातिक एस. जी. एस. टी. को नजरअंदाज कर दिया जायेगा।

उदाहरण - 3 : यदि कोई इकाई उत्पादन क्षमता 1000 M.T. से 1500 M.T. बढ़ाती है तथा फिर 2500 M.T. करती है। तीनों मामलों में इकाई 2016/2011/2006 नीति के तहत मात्र है:-

स्थापित उत्पादन क्षमता (इनक्रीमेंटल)	मूल इकाई	प्रथम विस्तारित इकाई	द्वितीय विस्तारित इकाई	अनुपात
	1000 M.T.	500 M.T.	1000 M.T.	2:1:2

इस मामले में एस. जी. एस. टी. प्रतिपूर्ति को मूल और विस्तार इकाईयों के बीच 2: 1: 2 के अनुपात में आवंटन किया जायेगा और स्वीकृत राशि को संबंधित पात्रता सीमा से घटा दिया जायेगा।

C. विशाखन के मामले में :-

यदि विशाखन का मामला हो तो निम्नलिखित नियम एस.जी.एस.टी. के प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र भरने के समय अनुपालन करें:

I.. उन सभी विशाखन के मामलों में जहाँ पर मूल इकाई समान नीति के

तहत पात्र हो या न हो, तो मूल और विशाखन इकाईयों के लिए अलग-अलग आवेदन भरने होंगे।

II तदनुसार निवेशक इकाई के विशाखन का विस्तृत रूप से परिशिष्ट I एवं II के भाग-2 के E{2(a)} के तहत ब्योरा देंगे तथा यह भी उल्लेख करेंगे कि यह आवेदन मूल इकाई या विशाखन के लिए भरा जा रहा है।

III इसी प्रकार, E{4(Table 5)} के तहत, उन्हीं इकाईयों की पात्रता उल्लेखित की जायेगी जिनके लिए आवेदन भरा जा रहा है। जैसे कि विशाखन इकाई के मामले में विशाखन इकाई वाली ही पात्रता भरी जायेगी।

IV चूँकि पूरी इकाई के लिए कच्चा माल और बिक्री संयुक्त होता है, मूल और विशाखन इकाईयों के लिए अलग-अलग विवरण संभव नहीं है। उन मामलों में पूरी इकाई के लिए Table 4A भरा जायेगा। इन मामलों में मूल एवं विशाखन इकाई के लिए अलग-अलग एस.जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति की गणना अनुमोदित परियोजना लागत के अनुपात में की जाएगी।

उदाहरण-1 : यदि कोई इकाई विशाखन करती है जिसका परियोजना लागत मूल इकाई एवं विशाखन इकाई का ₹1000 लाख एवं ₹1500 लाख क्रमशः है और मूल इकाई और विशाखन इकाई दोनों 2016 / 2011/ 2006 नीति के तहत पात्र है:-

अनुमोदित परियोजना लागत (इनक्रीमेंटल)	मूल इकाई	विस्तारित इकाई	अनुपात
	₹1000.00 लाख	₹500.00 लाख	2:1

इस स्थिति में एस. जी. एस. टी. प्रतिपूर्ति को मूल और विशाखन इकाई के बीच 2:1 के अनुपात में आवंटित किया जायेगा, स्वीकृत राशि संबंधित पात्रता राशि से घटा लिया जायेगा।

उदाहरण-2 : यदि कोई इकाई विशाखन करती है जिसका परियोजना लागत मूल इकाई एवं विशाखन इकाई का ₹1000 लाख एवं ₹500 लाख क्रमशः है तथा केवल विशाखन इकाई 2016/2011/ 2006 नीति के तहत पात्र है:-

अनुमोदित परियोजना लागत/ परियोजना लागत	मूल इकाई	विस्तारित इकाई	अनुपात
	₹1000.00 लाख	₹500.00 लाख	2:1

2:1 के अनुपात में एस. जी. एस. टी. की प्रतिपूर्ति मूल इकाई एवं विशाखन इकाई के बीच होगा तथा स्वीकृत राशि विशाखन से संबंधित पात्रता राशि से घटा लिया जायेगा। मूल इकाई के समानुपातिक एस. जी. एस. टी. को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

उदाहरण - 3: - यदि कोई इकाई दो बार विशाखन करती है और मूल इकाई की परियोजना लागत, प्रथम विशाखन एवं द्वितीय विशाखन ₹1000 लाख एवं ₹500 लाख एवं ₹1000 लाख क्रमशः है और तीनों 2016/ 2011 / 2006 नीति के तहत पात्र है।

अनुमोदित परियोजना लागत	मूल इकाई	प्रथम विशाखन	द्वितीय विशाखन	अनुपात
	₹1000.00 लाख	₹500.00 लाख	₹1000.00 लाख	2:1:2

इस मामले में एस. जी. एस. टी. प्रतिपूर्ति की मूल इकाई एवं विशाखन इकाई के 2: 1: 2 के अनुपात में होगा एवं स्वीकृत राशि को संबंधित पात्रता राशि से घटा दिया जाय।

D. विस्तार / आधुनिकीकरण एवं विशाखन के मामले में -

यदि विस्तार/ आधुनीकीकरण एवं विशाखन का संयुक्त मामला हो तो निम्नलिखित नियम एस. जी. एस. टी. के प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र भरने के समय अनुपालन करें:-

I. विस्तार / आधुनीकीकरण एवं विशाखन के प्रत्येक मामलों के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र भर जायेगा।

II. ऐसे मामलों में चूँकि इकाई की क्षमता समान नहीं भी हो सकती है, इसलिए विस्तार / आधुनीकीकरण एवं विशाखन के संयुक्त मामलों में स्वीकृत एस. जी. एस. टी. प्रतिपूर्ति की गणना अनुमोदित परियोजना लागत के अनुपात में की जाएगी।

उदाहरण :- नीचे दिये गये विवरण के अनुसार यदि कोई इकाई विस्तार और विशाखन करती है। मूल इकाई, विस्तार/ आधुनीकीकरण एवं विशाखन इकाईयाँ तीनों 2016/2011/2006 नीति के तहत पात्र है। इस स्थिति में, एस. जी. एस. टी. की प्रतिपूर्ति को मूल, विस्तार एवं विशाखन इकाईयों के बीच 2:1: 2 के अनुपात में आवंटित किया जाएगा, और स्वीकृत राशि को संबंधित पात्रता सीमा से घटा दिया जायेगा।

अनुमोदित परियोजना लागत	मूल इकाई	विस्तार इकाई	विशाखन इकाई	अनुपात
	₹1000.00 लाख	₹500.00 लाख	₹1000.00 लाख	2:1:2
स्थापित क्षमता	100 M.T.	500 M.T.	1200 M.T.	अनिर्धारित

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
अपर मुख्य सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक - 1221/पटना दिनांक - 13.06.2021
सं०सं - 4 तक / प्रोत्साहन नीति/38/2017

प्रतिलिपि : आई.टी. प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित

ह०/-
अपर मुख्य सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

दाल के भंडारण की सीमा में मिली राहत से संबंधित उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचनना की प्रति सूचनार्थ उद्धृत है:-

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
सी. जी.-डी. एल.-अ.- 19072021-228359
CG-DL-E-19072021-228359
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II -खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)
PART II - Section 3 - Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2665 नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 19, 2021/ आषाढ़ 28, 1943
No. 2665 NEW DELHI, MONDAY, JULY 19, 2021/ ASHADHA 28, 1943

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2021

का. आ. 2871(अ). - केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और का आ. 2674 (अ), तारीख 2.7.2021 का अधिक्रमण करते हुए, विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएँ और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(1) इस आदेश का नाम विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी

अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएँ और संचलन प्रतिबंध हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2021 है।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएँ और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश, 2016 में खंड 3 में, उप-खंड (2) में, मद (i) में निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

"(i) दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 तक की अवधि के लिए, दालों नामत: तूर, मसूर, उड़द, चना को, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निम्नलिखित स्टॉक सीमाओं के साथ रखा जाएगा;

- **थोक विक्रेता: 500 मीट्रिक टन (बशर्ते कि किसी एक किस्म की मात्रा 200 मीट्रिक टन से अधिक नहीं होनी चाहिए) खुदरा विक्रेता: 5 मीट्रिक टन**
- **मिलर : स्टॉक सीमा विगत 6 माह के उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 50%, इनमें से जो अधिक हो, होगी।**

3. उपर्युक्त संबंधित विधिक इकाइयाँ इसकी घोषणा उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल (fcainfoweb.nic.in) पर करेंगी और यदि उनके द्वारा धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, तो वे इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाएंगी।

4. इस आदेश में निहित कोई भी बात दालों के आयात पर लागू नहीं होगी; बशर्ते कि आयातक उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल (fcainfo web.nic.in) पर दालों के स्टॉक की घोषणा करेंगे।

(फा. सं. एस-10/4/2016-ईसीआरएंडई)
अनुपम मिश्रा, संयुक्त, सचिव

नोट : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा. का. नि. 929 (अ), तारीख 29 सितम्बर, 2016 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और तदोपरांत इसमें का. आ. 3341 (अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2016, का. आ. 1288 (अ), तारीख 25 अप्रैल, 2017, का, आ. 1600 (अ), तारीख 17 मई, 2017, का. आ. 2785 (अ), तारीख 25 अगस्त, 2017, का. आ. 3136 (अ), तारीख 27 सितम्बर, 2017, का. आ. 3397 (अ). तारीख 23 अक्टूबर, 2017, का. आ. 3422 (अ), तारीख 25 अक्टूबर, 2017, का. आ. 4079 (अ), तारीख 27 दिसम्बर, 2017 और का. आ. 2414 (अ), जून, 2018, का. आ. 2826 (अ). तारीख 6 अगस्त, 2019, का. आ. 3540(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2019, का. आ. 4298 (अ), तारीख 28 नवंबर, 2019, का. आ. 4341(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2019, का.आ. 4417(अ), तारीख 10 दिसम्बर, 2019, का. आ. 4471 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2019 का. आ. 901 (अ), तारीख 27 फरवरी, 2020, का. आ. 3776 (अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2020 और का. आ. 2674(अ), तारीख 02 जुलाई, 2021 के माध्यम से संशोधन किए गए थे।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) संशोधन नियम 2021 [Electricity (Rights of consumers) Amendment Rules 2021] से संबंधित गजट अधिसूचना की प्रति आपके सूचनार्थ उद्धृत हैं :

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
सी. जी.-डी. एल.-अ.- 29062021-227983
CG-DL-E-29062021-227983
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II -खण्ड 3-उप-खण्ड (i)
PART II - Section 3 - Sub-section (I)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360 नई दिल्ली, मंगलवार, जून 29, 2021/ आषाढ़ 8, 1943
No. 360 NEW DELHI,TUESDAY, JUNE 29, 2021/ ASHADHA 8, 1943

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2021

सा. का. नि. 448 (अ).- केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (य) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2, उप नियम (1) में:

(क) खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

(झक) "सकल-मीटरिंग" से एक ऐसा तंत्र, जिसके द्वारा प्रोज्यूमर की ग्रिड इंटरेक्टिव रूफ टॉप सोलर फोटोवाल्टिक प्रणाली से उत्पादित कुल सौर ऊर्जा और प्रोज्यूमर द्वारा खपत की गई कुल ऊर्जा की गणना उचित मीटरिंग व्यवस्था के माध्यम से अलग-अलग की जाती है, और बिलिंग के प्रयोजन के लिए, प्रोज्यूमर द्वारा खपत की गई कुल ऊर्जा की गणना लागू खुदरा टैरिफ पर की जाती है और उत्पादित कुल सौर ऊर्जा की गणना आयोग द्वारा निर्धारित फीड-इन टैरिफ पर की जाती है, अभिप्रेत है;'

(ख) खण्ड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत: स्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

(ख) "निवल-बिलिंग अथवा निवल फीड-इन" सेआपूर्ति स्थल पर निवल-बिलिंग अथवा निवल फीड-इन के लिए प्रयोग किया गया एकल द्विदिशात्मक ऊर्जा मीटर अभिप्रेत है जिसमें ग्रिड से आयातित ऊर्जा और प्रोज्यूमर की ग्रिड इंटरेक्टिव रूफ टॉप सोलर फोटोवाल्टिक प्रणाली से निर्यातित ऊर्जा का मूल्यांकन दो अलग- अलग टैरिफों पर किया जाता है, जहाँ-

(i) आयातित ऊर्जा का आर्थिक मूल्य लागू खुदरा टैरिफ पर आधारित होता है।

(ii) निर्यातित सौर ऊर्जा का आर्थिक मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित फीड-इन टैरिफ पर आधारित होता है।

(iii) बिल की जाने वाली निवल धनराशि(अथवा जमा की गई/अग्रेनीत की गई) की गणना के लिए निर्यातित ऊर्जा के आर्थिक मूल्य को आयातित ऊर्जा के आर्थिक मूल्य में से घटा दिया जाता है।

(ञख) "निवल-मीटरिंग" से एक ऐसा तंत्र, जिसमें आपूर्ति स्थल पर निवल-मीटरिंग के लिए एकल द्विदिशात्मक ऊर्जा मीटर का प्रयोग करके निवल आयातित अथवा निर्यातित ऊर्जा की गणना के लिए प्रोज्यूमर की ग्रिड इंटरेक्टिव रूफटॉप सोलर फोटोवाल्टिक प्रणाली से ग्रिड को निर्यात की गई सौर ऊर्जा को ग्रिड से आयात की गई ऊर्जा में से यूनिटों (केडब्ल्यूएच) में घटा दिया जाता है और निवल ऊर्जा आयात अथवा निर्यात का अनुप्रयोज्य खुदरा टैरिफ के आधार पर वितरण अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा बिल किया जाता है अथवा जमा किया जाता है अथवा अग्रेनीत किया जाता है, अभिप्रेत है।'

3. उक्त नियम में, नियम 11 में,-

(क) उप नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(4) निवल-मीटरिंग, सकल मीटरिंग, निवल-बिलिंग अथवा निवल फीड-इन के लिए व्यवस्थाएँ समय-समय पर राज्य

आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार होंगी।

परंतु जहाँ निवल-मीटरिंग, निवल-बिलिंग अथवा निवल फीड-इन के लिए विनियमों का प्रावधान नहीं है, आयोग पाँच सौ किलोवाट भार अथवा स्वीकृत भार तक के लिए, जो भी कम हो, प्रोज्यूमर को निवल-मीटरिंग की और अन्य भारों के लिए निवल-बिलिंग अथवा निवल फीड-इन की अनुमति देगा।

परंतु यह और भी कि प्रोज्यूमरों द्वारा निवल-बिलिंग अथवा निवल फीड-इन का लाभ उठाने के मामले में, आयोग टाइम-ऑफ-द-डे प्रवर्तित करेंगे जिसके द्वारा प्रोज्यूमर भंडारित सौर ऊर्जा का उनके द्वारा उपयोग करने के लिए ऊर्जा भंडार स्थापित करने अथवा व्यस्ततम मांग के घंटों के दौरान ग्रिड में फीड करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, इस प्रकार डिस्कॉमों के मांग के प्रत्युत्तर में सह-भागीदारी करते हुए ग्रिड की सहायता की जा सकेगी।

परंतु यह भी कि निवल-मीटरिंग अथवा निवल-विलिंग अथवा निवल फीड-इन के मामले में, वितरण अनुज्ञाप्तिधारी नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व साख, यदि कोई हो, के प्रयोजनार्थ ग्रिड इंटरेक्टिव रूफ टॉप सोलर फोटोवाल्टिक प्रणाली से उत्पादित सकल सौर ऊर्जा को मापने के लिए सौर ऊर्जा मीटर स्थापित करेगा।

परंतु यह भी कि आयोग ऐसे प्रोज्यूमरों, जो निवल-मीटरिंग, निवल-बिलिंग अथवा निवल फीड-इन का लाभ उठाने के बजाए पूर्ण उत्पादित सौर ऊर्जा को वितरण अनुज्ञप्तिधारी को बेचना चाहते हैं, निवल-मीटरिंग की अनुमति देंगे और आयोग इस प्रयोजन के लिए टैरिफ विनियमों के अनुसार सकल-मीटरिंग के लिए सामान्य टैरिफ निर्धारित करेगा।"

(ख) उप-नियम (13) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा अर्थात्:

"(13) प्रोज्यूमर द्वारा उत्पादित सौर ऊर्जा को ग्रिड इंटरेक्टिव रूफ टॉप सोलर फोटोवाल्टिक प्रणाली के लिए आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार खपत की गई ऊर्जा और बिल राशि के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा।"

(फा. सं. 23/5/2020-आरएंडआर)
घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 818 (अ) द्वारा तारीख 31 दिसम्बर, 2020 में प्रकाशित किए गए थे।

Now retail and wholesale trades are also covered under MSME. In this regard we are publishing office memorandum issued by the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Government of India for your information.

No 5/2(2)/2021-E/P & G/Policy
(E-19025)
Government of India
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises
(Policy Division)
710, Nirman Bhawan, New Delhi
Dated : 02.07.2021

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Activities (NIC code) under MSMED Act, 2006 for Udyam Ragistration -Addition of Retail and Wholesale Trade-regarding

This Ministry's O. M. No. UAM/MC/01/2017- SME dated 27.6.2017 on the subject Activities (NIC codes) not covered under MSMED Act. 2006 for registration of Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) excluded certain activities from registration on UAM Portal. This O. M. was further validated for Udyam Registration vide O. M. no 5/2 (1)2020- P&G/Policy dated 17.7.2020. Certain changes were made vide 5/2(1)2020/ E-P&G/Policy dated 1.12.2020, where it was clarifled that in Table 1 of O. M. no. UAM/MC/ 01/2017 - SME dated 27.6.2017, NIC codes 45, 46 and 47 and the activities mentioned against these NIC codes, are not permitted for registration in Udyam Registration Portal (https://udyamregistration.gov.in)

2. The Govemment has received various representations and it has been decided to include Retail and wholesalse trades as MSMEs and they are allowed to registered on Udyam Registration Portal. However, benefits to Retail and wholesale trade MSMEs are to be restricted to priority Sector Lending only.

3. Accordingly, the list of eligible additional activities under NIC Code 45, 46 and 47 are as under

45	Wholesale and retail trade and repair of motor vehicle and motorcycles
46	Wholesale trade except of motor vehicles and motor cycles
47	Retail Trade Except of Motor Vehicles and motor cycles

4. The Udyam Registration is allowed for above three NIC Codes and activities mentioned against them.

5. The Enterprises having Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) under above three NIC Codes are now allowed to migrate to Udyam Registration Portal or they can file Udyam Registration afresh.

6. Consequent upon above changes, para 2 including Table. 2 mention in O. M. no 5/2(1)/2020/E – P&G/ Policy dated 1.12.2021, stands omitted.

Sd/-
(A. K. Tamaria)
Deputy Director (Policy)

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

New Delhi, 23rd August, 2021

PRESS RELEASE

Finance Ministry meeting with Infosys on glitches in e-filing portal of Income Tax Department

The Hon'ble Finance Minister took a meeting with Mr. Salil Parekh, MD & CEO Infosys on 23.08.2021 to convey the deep disappointment and concerns of the Government and the taxpayers about the continuing glitches in the e-filing portal of the Income Tax Department even after two and half months since its launch, which was also delayed. She sought an explanation from Infosys for the repeated issues faced by taxpayers.

Ministry of Finance emphasized that there is a need for putting in more resources and efforts on the part of Infosys so that the much delayed delivery of agreed services is ensured. Mr. Parekh was also sensitized on the difficulties that the taxpayers were facing and the problems that are arising on account of the delays in the functioning of the portal.

Hon'ble Finance Minister demanded that the issues faced by taxpayers on current functionalities of the portal should be resolved by the team by 15th September, 2021 so that taxpayers and professionals can work seamlessly on the portal.

Mr. Parekh explained that he and his team are doing everything to ensure the smooth functioning of the portal. Further, he said, over 750 team members are working on this project and Mr. Pravin Rao COO of Infosys, is personally overseeing this project. He also assured that Infosys is working expeditiously to ensure a glitch-free experience to the taxpayers on the portal.

(Surabhi Ahluwalia)
Commissioner of Income Tax
(Media & Technical Policy)
Official Spokesperson, CBDT

PT.GPO/R-10/NP-15/2017-19 R. N. 4211/62

प्रत्येक जिले में निर्यात संवर्धन समिति का हुआ गठन

गैर कृषि उत्पादों के निर्यात के प्रोत्साहन को ब्लूप्रिंट तैयार

प्रदेश में निर्यात को प्रोत्साहित करने की कार्ययोजना बनायी गयी है। उद्योग विभाग की तरफ से बनाये गये ब्लूप्रिंट के मद्देनजर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला संवर्धन समिति का गठन किया जा चुका है। कार्ययोजना के मुताबिक गैर कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने की रणनीति पर अमल किया जाना है।

इस संदर्भ में खाद्य प्रसंस्करण ने जिलों के उद्योग महाप्रबंधकों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किये हैं। दरअसल उद्योग विभाग ने माना है कि निर्यात को बिना प्रोत्साहित किये आर्थिक तरक्की नहीं हो सकती है। लिहाजा प्रदेश में ऐसे उत्पादों का निर्माण हो, जिनकी दुनिया के तमाम देशों में मांग हो, ऐसा करके राज्य को विकसित राज्यों की कतार में खड़ा किया जा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय ने जिला उद्योग महाप्रबंधकों से जीओ टैगिंग से संबंधित निर्यात योग्य कृषि उत्पादों की पहचान करने के लिए कहा है। साथ ही पूछा है कि संबंधित जिलों में किसी गैर कृषि उत्पादों का निर्यात हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो ऐसे निर्यातकों की जानकारी चाही है, ताकि उन्हें जरूरी मदद की जा सके।

अभी बिहार का निर्यात 1.35 अरब यूएस डॉलर : खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय ने साफ कर दिया है कि एक्सपोर्ट हब और वन डिस्ट्रिक, वन प्रोडक्ट दो अलग-अलग विषय है। एक्सपोर्ट हब में वह उत्पाद होते हैं, जिसकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान पहले से ही हो, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग और भागलपुरी सिल्क आदि। वहीं, वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट के तहत जिले के ऐसे उत्पाद पहचाने जाते हैं, जिनके निर्यात की संभावना हो।

निर्यात आर्थिक बंदी से प्रभावित हुआ : वित्तीय वर्ष 2017-18 में बिहार से विभिन्न उत्पादों का निर्यात 1.35 अरब अमेरिकी डॉलर था। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान बिहार से महज 0.4 अरब डॉलर का निर्यात होता था। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में मंदी और 2019-20 से अब तक कोविड संक्रमण के चलते आर्थिक बंदी की वजह से निर्यात प्रभावित हुआ है। अब भी राज्य से निर्यात में 90 करोड़ डॉलर की वृद्धि की संभावना है।

कार्ययोजना के मुताबिक गैर कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने की रणनीति पर अमल किया जाना है।

निर्यात में 90 करोड़ डॉलर की वृद्धि की संभावना : निर्यात की यह जानकारी भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जम बैंक) के एक शोध अध्ययन पर आधारित है। 2019 में पटना में आयोजित एक आर्थिक सेमिनार में यह आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था। इस शोध पत्र में बताया गया था कि बिहार में इतनी संभावना है कि यहाँ अभी 90 करोड़ डॉलर मूल्य के अतिरिक्त माल का निर्यात किया जा सकता है। इसे सालाना दो अरब डॉलर के स्तर पर ले जाया जा सकता है।

रिपोर्ट में निर्यात संवर्धन के लिए ये दिये गये थे सुझाव : मुजफ्फरपुर और भागलपुर में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आइसीडी) स्थापित हो • पटना के मौजूदा आइसीडी में एक कस्टम क्लीयरेंस ऑफिस बने • राज्य में वेयर हाउसिंग और कोल्ड चेन का बने बुनियादी ढांचा • पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जिलों में बनाये जाये विशेष आर्थिक क्षेत्र • निर्यातकों की लागत को कम करने के लिए उन्हें ढुलाई भाड़ा सहायता दी जाये • राज्य में जीआइ उत्पादों की ब्रांडिग और मार्केटिंग प्रबंध किया जाये। **(साभार : प्रभात खबर, 22.7.2021)**

ई-कामर्स प्लेटफार्म पर नहीं बिकेगा संचालक का सामान

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ई-कामर्स नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। इसके अनुसार ई-कामर्स प्लेटफार्म उस प्लेटफार्म पर अपना कोई सामान नहीं बेच सकेंगी। साथ ही ई-कामर्स प्लेटफार्म पर शुरूआती कीमत कम दिखाने और भुगतान के वक्त अन्य शुल्क जोड़कर ज्यादा दाम दिखाने का अब खेल नहीं चलेगा। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 23.7.2021)**

खान एवं भूतत्व विभाग
आम सूचना

आम जन / ट्रांसपोर्टरों / कार्य संवेदकों को सूचित किया जाता है कि बिहार राज्यन्तर्गत विभिन्न जिलों में प्रचुर मात्रा में बालू उपलब्ध है। अनुरोध है कि सुविधानुसार अपने जिला/ निकटवर्ती जिला के भण्डारण अनुज्ञप्तिधारियों से सम्पर्क कर बालू प्राप्त कर सकते है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर (यथा-बालू की मात्रा, बिक्री स्थल इत्यादि) संबंधित जिला खनन कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। विभिन्न जिलान्तर्गत निर्धारित दर तथा सम्पर्क पदाधिकारी की विवरणी निम्नवत् है:-

जिला	बालू के विक्रय हेतु निर्धारित मूल्य (प्रति 100 cft)	सम्पर्क पदाधिकारी का नाम/ मोबाईल सं०
औरंगाबाद	3950 रुपया	श्री पंकज कुमार : 7294805905
भोजपुर	4000 रुपया	श्री आनंद प्रकाश : 7549125357
पटना	4027 रुपया	श्री सन्नी कुमार सौरभ : 9771959633
रोहतास	3950 रुपया	श्री गणेश दत्त : 8544412382

किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर अथवा अन्य कोई सूचना देने के लिए विभागीय नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या-0612-2215350, 2215351 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(गोपाल मीणा)
निदेशक, खान

विनम्र निवेदन

वित्तीय वर्ष 2021-22 के सदस्यता शुल्क का प्रोफार्मा बिल माननीय सदस्यों को भेजा जा चुका है। काफी सदस्यों ने अपना सदस्यता शुल्क भेज दिया है। जो सदस्य अभी तक सदस्यता शुल्क नहीं भेज पाये हैं, उनसे आग्रह है कि कृपया यथामीध्र भेजने की कृपा करें।

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296